

Title:प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.:-
कोरोना कवच पॉलिसी

संदर्भ सं / Ref. No:- दिनांक / Date:10-07-2020

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> <u>Press Release</u>

कोरोना कवच पॉलिसी Corona Kavach Policy

-

कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर, प्राधिकरण ने उद्योग भर में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली में बीमा कराने वाली जनता की मूलभूत स्वास्थ्य बीमा जरूरतों को पूरा करने वाला एक मानक कोविड-विशिष्ट उत्पाद तैयार किया है। प्राधिकरण ने, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को आदेश दिया है कि वे "कोरोना कवच~~ नामक इस क्षतिपूर्ति आधारित वैयक्तिक कोविड मानक स्वास्थ्य पॉलिसी को पेश करें।

In view of the Covid 19 pandemic, the Authority has designed a standard Covid specific product addressing basic health insurance needs of insuring public with common policy wordings across the industry. The Authority has mandated general and health insurers to offer this indemnity based Individual Covid Standard Health Policy called "Corona Kavach".

"कोरोना कवच" की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं: Key features of "Corona Kavach" are as under:

अस्पताल में भरती संबंधी व्यय

Hospitalization

उत्पाद का प्रकार	वैयक्तिक और परिवार फ्लोटर आधार पर उपलब्ध			
Product Type	Available on Individual and Family Floater Basis			
कवर का प्रकार Type of Cover	1. क्षतिपूर्ति-आधार पर बेस कवर-कोविड अस्पताल में भरती कवर 2. लाभ आधारित स्वैच्छिक कवर- अस्पताल दैनिक नगदी 1. Base Cover on Indemnity Basis- Covid Hospitalization cover 2. Optional Cover on Benefit Basis- Hospital Daily Cash			
बीमाकृत राशि Sum insured	रु. 50,000/- (पचास हजार) से 5,00,000/- (पाँच लाख) (पचास हजार के गुणकों में) Rs 50,000/- (Fifty Thousand) to 5,00,000/- (Five Lakh) (in the multiples of fifty thousand)			
प्रतीक्षा अवधि Waiting Period	15 दिन 15 days			
पॉलिसी अवधि Policy Period	साढे तींन महीने (3 ½ महीने), साढे छह महीने(6 ½ महीने), साढे नौ महीने(9 ½ महीने), प्रतीक्षा अवधि सहित Three and Half Months (3 ½ months), Six and Half Months(6 ½ months), Nine and Half Months (9 ½ months) including waiting period			
पात्रता Eligibility	पॉलिसी 18 से 65 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पॉलिसी स्वयं, पित/पत्नी, माता-पिता, सास-ससुर और 25 वर्ष की आयु तक की आश्रित संतानों के लिए ली जा सकती है। Policy can be availed by persons between the age of 18 to 65 years. Policy can be availed for Self, spouse, Parents, Parents-in-law and Dependent Children up to 25 years of age.			

कोविड के निदान पर, अस्पताल में भरती होने पर चिकित्सा व्यय शामिल होगा

Expenses	Medical Expenses of Hospitalization on diagnosis of Covid shall be admissible				
अस्पताल में भरती होने से पूर्व					
के व्यय					
Pre Hospitalization	15 दिन				
Expenses	15 days				
अस्पताल में भरती होने के बाद					
के व्यय					
Post Hospitalization	30 दिन				
Expenses	30 days				
	1. घर पर इलाज : प्रति घटना अधिकतम 14 दिनतक				
	2. एम्बुलेन्स प्रभार: अस्पताल में एक बार भरती होने पर रु.2000/-				
उप-सीमाएँ	3. अस्पताल के दैनिक नगदी का स्वैच्छिक कवर: प्रत्येक बीमाकृत सदस्य के लिए एक पॉलिसी अवधि में अधिकतम 15 दिन की सीमातक, प्रति दिन बीमाकृत राशि का 0.5%				
ડવ-તામાર Sub-limits	15 વિન વર્ગ સામાલવર, પ્રાતા વિન ષામાવૃશ્લે સારા વર્ગ 0.5% 1. Home care treatment: Maximum upto 14 days per incident.				
Sub-illilits	Ambulance Charges: Rs.2000/- per hospitalization.				
	3. Optional Cover of Hospital Daily Cash: 0.5% of Sum Insured per day subject to				
	maximum of 15 days in a policy period for every insured member				
	पाज़िटिव निदान होने पर कोविड के लिए बीमाकृत व्यक्ति द्वारा घर पर इलाज की सविधा हासिल करने पर. प्रति घटना				
घर पर इलाज पर होने वाले	14 दिनों तक, जबकि साधार्ण स्थिति में अस्पताल में देखभाल व इलाज की जरूरत होती है, लेकिन वास्तव में इलाज				
व्यय	घर पर रहकर कराया जाता है।				
	Cost of treatment incurred by the Insured person on availing treatment at home for Covid				
Expenses	on positive diagnosis up to 14 days per incident, which in the normal course would				
W.S.	require care and treatment at a hospital but is actually taken while confined at home.				
प्रीमियम भुगतान	एकल प्रीमियम				
Premium payment	Single Premium				
अस्पताल	इस पॉलिसी के उद्देश्य से सरकार द्वारा कोविड के इलाज के लिए, अस्पताल के रूप में नामित किसी भी सेट-अप को				
Hospital	भी अस्पताल माना जाएगा।				
	For the purpose of this policy any set-up designated by the government as hospital for				
	the treatment of Covid shall also be also considered as hospital.				
<u>-</u>	कोविड-19 के कारण उत्पन्न किसी भी सह-रुग्णता की दशा को भी अस्पताल में इलाज की अवधि में शामिल किया				
सह-रुग्णताएँ	जाएगा।				
Co-morbidities	Any co-morbid condition triggered due to Covid-19 shall be covered during the period of				
	hospitalization				

प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित 30 साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को इस "कोरोना कवच" पॉलिसी के विपणन की अनुमित दी जा चुकी है। Now the Authority had issued clearance to the following 30 General and Health Insurance companies to market this Corona Kavach Policy.

क्रम संख्या SI.	बीमाकर्ता का नाम				
No	Name of Insurer				
_	एको जनरल इंश्येरिंस लि.				
1	Acko General Insurance Ltd.				
	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड				
2	Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.				
2	बजार्ज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड				
3	Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd				
4	भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड				
4	Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.				
~	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड				
5	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.				
	एडलवाइज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड				
6	Edelweiss General Insurance Co. Ltd.				
	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड				
7	Future Generali India Insurance Co. Ltd.				
	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड				

8	Go Digit General Insurance Ltd
	एचडीएफसी एगों जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9	HDFC ERGO General Insurance Co.Ltd.
	एचडीएफसी एगीं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
10	HDFC ERGO Health Insurance Limited
10	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11	
11	ICICI Lombard General Insurance Company Ltd इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12	
12	IFFCO TOKIO General Insurance Co. Ltd.
13	कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
13	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.
1.4	लिबटी जनरल इंश्योरेंस लि.
14	Liberty General Insurance Ltd.
1.5	मैग्मा एंचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
15	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.
	मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
16	Manipal Cigna Health Insurance Company Limited
	मैक्स बूपा हेल्य इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
17	Max Bupa Health Insurance Co. Ltd
	नवी जनर्रें इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
18	Navi General Insurance Ltd.
	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
19	National Insurance Co. Ltd.
	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
20	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.
	रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
21	Reliance General Insurance Co.Ltd
	रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
22	Religare Health Insurance Co. Ltd
	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
23	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.
23	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
24	
-	SBI General Insurance Co. Ltd. स्टार हेल्थ एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
25	
23	Star Health & Allied Insurance Co.Ltd.
26	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
20	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.
27	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
27	The New India Assurance Co. Ltd
20	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
28	The Oriental Insurance Co. Ltd.
20	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
29	United India Insurance Co. Ltd.
2.0	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
30	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.

आम जनता उपरोक्त बीमा कंपनियों से संपर्क करके यह उत्पाद हासिल कर सकती है। The general public may avail this product by approaching the above Insurance Companies.